अति आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

**कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)**
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार**
**एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली–110031**
**दूरभाष संख्या 22424989**

सं. सी.ई.एफ. / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2021 / 4666–69 दिनांक 31/12/21

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

विषयः– विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 61 **माननीय विधायक** श्री अभय वर्मा दिनांक 03–01–2022 के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय से प्राप्त ई–मेल दिनांक 24–12–2021 समय शाम 6:30 बजे का अवलोकन करें जिसके साथ उपरोक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 61 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को भेजा गया है । इस संबंध में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ हेतु संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्त।

(रवीन्द्र कुमार)
**कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी**

सं. सी.ई.एफ. / एस.एस.डब्ल्यू / वि.स.सत्र / 2021 / दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –2 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकारए दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय,पुराना सचिवालय, दिल्ली–54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

**कार्य सर्वेक्षक / नोडल अधिकारी**

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर
दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 61

दिनांक : 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अभय वर्मा

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

| क्र॰ सं॰ | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क) | क्या लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अक्षरघाम मंदिर के सामने गणेश नगर कॉम्पलेक्स के सामने से कोण्डली के नाले में मिलने वाली ड्रेन को ढकने की सरकार की कोई योजना है; | जी नहीं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शाहदरा लिंक ड्रेन को ढकने की कोई योजना नही है। |
| ख) | यदि हां तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ड्रेन को रिमॉडल करके दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाईन डालने की योजना सरकार के पास लंबित है; | दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिया गया उत्तर संलग्नक 'क' में संलग्न है। |
| ग) | यदि हां तो योजना का नाम तथा उसका संपूर्ण विवरण विभाग सहित दें; | दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिया गया उत्तर संलग्नक 'क' में संलग्न है। |
| ध) | क्या लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के जोन-1 को अधिकृत किया है; और | जी हाँ, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के जोन-1 के अधीन सिविल खंड सं॰ 3 को अधिकृत किया गया है। |
| ड.) | यदि हां तो इस कार्य हेतु दिल्ली सरकार द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के जोन-1 को कितनी धनराशि आबंटित की गई है? | जी नहीं अभी कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। |

(रवीन्द्र कुमार)
नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

संलग्नक 'क'

विभाग का नाम :– दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :– निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 61
दिनाक :–03.01.2022
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– **श्री अभय वर्मा**, विधायक

क्या माननीय सिचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| अ.क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| (क) | क्या लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अक्षरधाम मंदिर के सामने गणेश नगर कॉम्प्लेक्स के सामने से नाले मे मिलने वाली ड्रेन को ढकने की सरकार की कोई योजना है; | लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अक्षरधाम मंदिर के सामने गणेश नगर कॉम्प्लेक्स के सामने से नाली में मिलने वाली ड्रेन को ढकने की दिल्ली जल बोर्ड की योजना नही है। |
| (ख) | यदि हॉ, तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ड्रेन को रिमॉडल करके दिल्ली जल बोर्ड के सीवर लाईन डालने की योजना सरकार के पास लंबित है; | दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नाले में आ रहे अनधिकृत मल को सीवर लाईन में ट्रैप करने की योजना पर कार्य हो रहा है। |
| (ग) | यदि हॉ, तो योजना का नाम तथा उसका सम्पूर्ण विवरण विभाग सहित दे; | योजना का नाम दिल्ली में भूजल स्तर को रिजार्च करने के लिए 'शाहदरा लिंक ड्रेन का जीर्णोद्वार' ।<br><br>काम का विवरण : इस कार्य के दायरे में दिल्ली जल बोर्ड सीवर पाईप लाईन बिछाकर नाले में आने वाले सीवर को बायपास करेगा ताकि इस नाले को रिचार्ज जोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इस काम पर करीब 7 करोड़ 85 लाख रूपये खर्च होगें और 6 महीने में पूरा होने की संभावना है। |
| (घ) | क्या लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के जाने–1 को अधिकृत किया है; और | घ एवं ड़ ):–<br><br>दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है। |
| (ड़) | यदि हॉ, तो इस कार्य हेतु दिल्ली सरकार द्वारा सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग के जोन–1 को कितनी धनराशि आंबटित की गई हैं? | |

निदेशक (प्रशासन एंवं कार्मिक)

A. K. Kaushik
Director (Admn. & Pers.)
Delhi Jal Board
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,
New Delhi-110005